

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-04/2025-स्था. (भर्ती)
No.F.2-04/2025-Estt.(RCT)

अंसारीनगर, नईदिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29
दिनांक: 01 AUG 2025

कार्यालयआदेश/OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर पदोन्नति।
Subject: - Promotion to the post of Chief Medical Social Welfare Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 27.05.2025 को चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत श्री कोलुरी बाबू, सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर को पे मेट्रिक्स के लेवल-11 के अंतर्गत चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee held on 27.05.2025 and its acceptance by the Competent Authority, Sh. Kolluri Babu, Supervising Medical Social Welfare Officer is promoted to the post of Chief Medical Social Welfare Officer in the Level-11 of pay matrix from the date he assumes the Charge of the post of Chief Medical Social Service Officer.

चीफ मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर उनकी वरिष्ठता रिक्ति की तिथि (01.08.2025) से प्रभावित होगी।

His seniority in the post of Chief Medical Social Service Officer will be effective from the date of vacancy i.e. 01.08.2025.

वह दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएँ किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory service failing which his services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

वे दिल्ली/नईदिल्ली/ बडसा, झज्जर /एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद /एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

He shall be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

Cont.2

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22(I) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided he has not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाए वर्तमान मे बल्लभगढ़ (हरियाणा) मे स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (गाज़ियाबाद), एन सी आई झंजर तथा संस्थान द्वारा भविष्य मे खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र मे स्थानांतरीय है। उन्हे शिफ्ट मे सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

His service is transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. He can be asked to perform duties in shifts also.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामले के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of his services will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

[के. सी. भट्ट/ K.C. BHATT]
प्रशासनिक अधिकारी /ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री कोलूरी बाबू, सुपरवाइजिंग मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर
Sh. Kolluri Babu, Supervising Medical Social Welfare Officer
द्वारा:- चीफ, आर.पी.सेन्टर
Through:- Chief of Dr.RPC Centre

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) डॉ.आर.पी.सेन्टर के प्रमुख
Chief of Dr.R.P.Centre
- 2) चिकित्सा अधीक्षक, डॉ.आर.पी.सेन्टर
Medical Superintendent, Dr.R.P.Centre
- 3) वरिष्ठ/ प्रशासनिक अधिकारी- डॉ.आर.पी.सेन्टर
Sr./ Administrative Officer:- Dr.R.P.Centre
- 4) स्थापना अनुभाग -डॉ.आर.पी.सेन्टर
Establishment Section - Dr.R.P.Centre
- 5) लेखाअनुभाग- डॉ.आर.पी.सेन्टर
Accounts Section- Dr.R.P.Cente
- 6) सामान्यअनुभाग/सम्पदाअनुभाग/विधिप्रकोष्ठ/सामान्यभविष्यनिधिअनुभाग / सतर्कताप्रकोष्ठ
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
- 7) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
ACR Cell /SC/ST Cell
- 8) प्रोफेसरइंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website